

12/11/21

Form No-111

अज अदालत

फर्द अहकाम (नियम 26)

उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

रायसिंहनगर

किस्म गुकदमा 136 एल आर एक्ट

पोखर सिंद 3 PS. बनाम

सरकार

नम्बर 319 सन् 2021

जी.सी.एम.एस. आईडी 2021/

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जौ इस हुकम की तामील में जारी किए
12-11-2021	<p>तहसीलदार भू.अ./नायब तहसीलदार <u>मुक्तालाबा</u> रायसिंहनगर के पत्रांक/भू.अ./प्र.गां.सं.अ./2021/778-788 दिनांक 12-11-2021 के द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत <u>3.M.K.</u> में प्रार्थी के नाम चक <u>3 PS.</u> की जमाबंदी सम्वत् <u>2074-77</u> के खाता सं <u>34</u> में <u>पोखर सिंद 3 PS. बनाम</u> के स्थान पर <u>पोखर सिंद 3 PS. बनाम</u> सिंद।</p> <p>की दुरुस्ती किये जाने की अनुशंषा की हैं। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर हो। मजमा-ए-आम कैम्प कोर्ट में तहसीलदार/नायब तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार दुरुस्ती किए जाने पर किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गयी हैं। अतः तहसीलदार/नायब तहसीलदार <u>मुक्तालाबा</u> रायसिंहनगर की अनुशंषा के आधार पर वाके चक <u>3 PS.</u> तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी सम्वत् <u>2074-77</u> के खाता सं <u>34</u> में <u>पोखर सिंद</u> <u>3 PS. बनाम</u> के स्थान पर <u>पोखर सिंद 3 PS. बनाम</u> सिंद।</p> <p>की दुरुस्ती करने के आदेश दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तूर रहेगा। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर के नाम जारी हो। पत्रावली फौसले में शुमार होकर दाखिल दफतर हो। आदेश मजमा-ए-आम में सुनाया गया।</p>	

(अर्पिता सोनी)

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

कैम्प: 3.M.K.

